L. C. BILL No. IV OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE) ACT, 1981.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ४ सन् २०२५।

महाराष्ट्र निजी सुरक्षा रक्षक (रोज़गार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९८१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र निजी सुरक्षा रक्षक (रोज़गार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९८१ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

सन् १९८१ का महा. ५८।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र निजी सुरक्षा रक्षक (रोज़गार का विनियमन और कल्याण) (संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

(शा.म.मु.) एचबी २९७६-१ (१००—३-२०२५)

सन् १९८१ का महा. ५८ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र निजी सुरक्षा रक्षक (रोज़गार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९८१ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के, खण्ड (४) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९८१ का महा. ५८।

"(४) "संस्थापना" का तात्पर्य, महाराष्ट्र दुकान और संस्थापना (रोज़गार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, २०१७ की, धारा २ के खण्ड (४) में यथा परिभाषित संस्थापना, से है ;"। सन् २०१७ का महा. ६१।

सन् १९८१ का महा. ५८ की धारा ३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा (२), के, खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) सुरक्षा रक्षक की योजना में सुरक्षा रक्षकों की भर्ती और प्रवेश का विनियमन करने, सुरक्षा रक्षक और मूल नियोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण करने और रजिस्ट्रीकरण रद्द करने समेत सुरक्षा रक्षकों के रजिस्टर और प्रतिक्षा सूची बनाए रखना, रजिस्टर और प्रतिक्षा सूची से या तो अस्थायी या स्थायी रूप से नाम हटाना और पुनर्स्थापना के लिए फ़ीस को लागू करना और रजिस्ट्रेशन के लिये फ़ीस का अधिरोपन करना;"।

सन् १९८१ का महा. ५८ की धारा १५ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १५ की,—

(१) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(१क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि, सलाहकार समिति किसी कारणवश कार्यशिल नहीं है, तब राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए सलाहकार समिति की सलाह लिए बिना या विचारविमर्श के बिना अधिसूचना जारी कर सकेगी या विनिर्णय ले सकेगी।";

(२) उप-धारा (६) के स्थान में निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(६) (क) सलाहकार समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों से अन्य सदस्यों की पदावधि, **राजपत्र** में उनके नाम की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से पाँच वर्षों की होगी। ऐसे सदस्य सरकार की इच्छा तक पद धारण करेंगे।

(ख) राज्य सरकार, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों से अन्य सदस्यों की रिक्ति और किसी मामले में ऐसी रिक्ति पाई जाने के दिनांक से छह महीने के अवसान के पूर्व भरी जायेगी।"।

सन् १९८१ का महा. ५८ की धारा १८ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १८ के **स्पष्टीकरण** में, "चौदह" शब्दों के स्थान में, "अठारह" शब्द रखे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र निजी सुरक्षा रक्षक, (रोज़गार का विनियमन और कल्याण) अधिनियम, १९८१ (सन् १९८१, का महा. ५८) (जिसे इसमें आगे, "उक्त अधिनियम" कहा गया है) यह महाराष्ट्र राज्य के कारखानों और संस्थापना में नियोजित, निजी सुरक्षा रक्षकों के रोज़गार का विनियमन करने और उसके लिए बोर्ड की संस्थापना के ज़रिए रोज़गार के निबन्धन और शर्तों और कल्याण के लिए और उससे संबंधित मामलों के उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम में "संस्थापना" निबन्धन में मुंबई दुकान और संस्थापना अधिनियम, १९४८ (सन् १९४८ का मुंबई ७९) की धारा २ के, खण्ड (८) में यथा परिभाषित संस्थापना के रूप में परिभाषित किया है। महाराष्ट्र दुकान और संस्थापना अधिनियम, २०१७ रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें (सन् २०१७ का महा. ६१) द्वारा उक्त दुकान अधिनियम, १९४८ का निरसन करने के कारण उक्त परिभाषा, नया दुकान अधिनियम, २०१७ में यथा परिभाषित "संस्थापना" निबन्धन का संदर्भ निगमित करने के लिए संशोधन करना प्रस्तावित करती है।

३. उक्त अधिनियम की धारा १५ यह उपबंध करती है कि, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रशासन के दायरे से बाहर उद्भूत ऐसे मामलों पर सलाह लेने या तद्धीन बनाई किसी योजना जिसे राज्य सरकार सलाह के लिए भेज सके, के लिए सलाहकार समिति गठित कर सकेगी। सलाहकार समिति मुख्य नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, सुरक्षा रक्षक, राज्य विधानमंडल के सदस्यों और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों से गठित होगी। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों से अन्य सदस्यों की पदावधि सामान्यतः तीन वर्षों की है। सलाहकार समिति के कार्य में सुकरता लाने के उद्देश से, सरकार यह उपबंध करने के लिए, उक्त धारा में संशोधन करना इष्टकर समझती है कि, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों से अन्य, सदस्यों की रिक्ति भरेगी और किसी मामले में ऐसी रिक्ति पाई जाने के दिनांक से छह महीने अवसित होने के पूर्व भरी जायेगी।

यह ध्यान में आया है कि, यदि सलाहकार समिति, किसी कारणवश कार्यशिल नहीं है तब राज्य सरकार उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का कार्यान्वयन नही कर सकेगी या सलाहकार समिति के विचारविमर्श की आवश्यकता के लिए योजना तैयार नहीं कर सकेगी या बदल नहीं सकेगी। इसलिए, यह उपबंध करने कि, दृष्टि से कि, सरकार उक्त अधिनियम की धारा १५ में संशोधन करना आवश्यक समझती है कि, सरकार अधिसूचना जारी कर सकेगी या तद्धीन निर्णय ले सकेगी, जब तक समिति कार्यशिल नहीं होती।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा १५ में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित है।

४. उक्त अधिनियम की धारा १८ बालक कर्मचारी अर्थात् व्यक्ति जिसने किसी सुरक्षा रक्षक के रूप में आयु के चौदह वर्ष पुरे नहीं किए है, का प्रतिषेध करने के लिए उपबंध करती है। बालक और नवयुवक श्रमिक (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, १९८१ (सन् १९८६ का ६१) नवयुवक अर्थात् व्यक्ति जिसने अपने उम्र की चौदह वर्ष पूरे किए है परंतु, अठारह वर्ष पूरे नहीं किए है, को व्यावसायिक जोखिम में नियोजन का प्रतिषेध करती है। विभिन्न श्रमिक विधियों में श्रमिक बालकों की आयु सीमा अठारह वर्षों तक बढ़ाई गई है। उसी तर्ज पर, किसी अनुसूचित रोजगार में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करने की दृष्टि से सरकार, श्रमिक बालकों की उक्त आयु सीमा चौदह वर्षों से बढ़ाकर अठारह वर्ष करना इष्टकर समझती है।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित १८ मार्च, २०२५।

आकाश फुंडकर,
श्रम मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १८ मार्च, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधान परिषद।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई